(114)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : के0सी0 जैन

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1160–दो/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–04–2006 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक–50/अपील/2001–02.

.....

1. रामनाथपटेल तनय श्री रामस्वरूप पटेल
   निवासी ग्राम बरौ, तहसील सिरमौर जिला
   रीवा म0प्र0
2. जगदीश प्रसाद तनय श्री विशेषर नाई
   निवासी कृष्णा कालोनी बॉस नाका घडी साज
   का बगीचा टिकुरिया टोला सतना तहसील
   रघुराज नगरा जिला सतना म0प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

चन्द्रिका प्रसाद तनय श्री वशिष्ठ नाई
निवासी– ग्राम बरौ तहसील सिरमौर
जिला रीवा म0प्र0

————अनावेदक

.....

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २३/०९/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 17–04–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा कं 1298/2 रकवा 0.21 एकड़ स्थित ग्राम बरौ तहसील सिरमौर जिला रीवा पर आवेदक कमांक 2 के पिता विशेसर नाई का कब्जा था। सन् 1973 क वाद आवेदक कमांक 2 जगदीश प्रसाद का नायब तहसीलदार सैमरिया तहसील सिरमौर द्वारा दिनांक 23–1–1973 को म0प्र0 दखलल रहित भूमि विशेष उपबिंध अधिनियम के तहत पट्टा प्रदान किया गया तथा राजस्व अभिलेखों में आवेदक कमांक 2 का नाम भूमिस्वमी के रूप में नाम अंकित किया गया। आवेदक कमांक 2 जगदीश की पत्नी को लकवा मार जाने के कारण इलाज हेतु पैसों की आवश्यकता होने पर आवेदक कमांक 2 द्वारा प्रकरण में वर्णित सर्वे नंत्र 1298/2 रकवा 0.14 एकड़ अंश भाग का विकय आवेदक कमांक 1 के पक्ष में कर दिया तथा आवेदक कमांक 1 का नामांतरण हुआ। तहसील न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 29–9–2001 को निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध चन्द्रिका प्रसाद द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 17–4–2006 को स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि प्रकरण में म0प्र0 ग्रामों कि दखल रहित भूमि विशेष उपबंध अधिनियम 1970 के तहत अधीन पट्टा प्रदान किया गया था। आवेदक कमांक 2 के पिता रीवा कानून माल के हत उक्त भूमि पर कास्त करते थे इसी आधार पर उक्त भूमि पर पट्टे पर प्राप्त हुई। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया कि दखल रहित विशेष उपबंध अधिनियम 1970 के तहत दिये गये पट्टे में द्वितीय अपील का प्रावधान नहीं है। इस कानूनी बिन्दु को अनदेखा कर अपर आयुक्त रीवा द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह आदेश क्षेत्राधिकार विहीन आदेश होने से निरस्ती योग्य है। तर्क में यह भी कहा कि प्रकरण में म0प्र0

भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 170(ख) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति का नहीं है। अंतरण के समय कलेक्टर से अनुमति ली जाना चाहिए। तर्क के समर्थन में 1988 आर एन 299, 1997 आर एन 158, 2001 आर एन 243 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया कि प्रकरण में अपर आयुक्त का निर्णय सही है। उन्होंने अपने निर्णय में उचित व विधि अनुकूल निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभयपक्ष के अभिभाषकगणों के तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। म0प्र0 ग्रामों की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1970 में द्वितीय अपील का प्रावधान नहीं है तथा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 170(ख) संबंधित नहीं है क्योंकि आवेदक एवं अनावेदक सवर्ण जाति के व्यक्ति हैं। आवेदक कमांक 2 के पिता को रीवा माल कानून के तहत भूमि पट्टे पर दी गई थी जिसपर कास्त कर मकान आदि का निर्माण हो चुका है, जो स्वतः ही भूमिस्वामी संहिता के प्रभावशील होने पर बन गये हैं। इस कारण प्रकरण में अन्तरण के समय विकय के अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। इस संबंध में 1988 आर एन 299 हिरिया उर्फ लक्ष्मण तथा अन्य विरूद्ध हीरा उर्फ हीरालाल तथा अन्य में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

''भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 185 तथा 190– होल्कर राज्य परिपत्र (सक्यूंल्र) कमांक 13 सन् 1908–नि0 5– म0भा0 भू–आगम एवं कृषकाधिकार विधान के प्रवृत होने के समय तक उप–कृषक का कब्जा–मौरूषी कृषक के अधिकार प्रोद्भूत हो जाते हैं एवं वह भूमिस्वामी हो जाता है।''

इसी प्रकार 2001 आर एन 343 म0प्र0 राज्य विरूद्ध बलवीरसिंह में मान0 उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा अन्य विरूद्ध हीरा उर्फ हीरालाल तथा अन्य में

मान0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

''''भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 158, 2(1) तथा 57– भूमिस्वामी– हक धार है– यद्वपि अत्यांतिक स्वामी नहीं–अधिकार स्वामी के सदृश हैं–अंतरणीय तथा दाययोग्य हैं– वह कानूनी उपबंधों के अधीन विधि की सम्यक् प्रकिया के सिवाय बेकब्जा नहीं किया जा सकता– अधिकार, विधायन के सिवाय कम नहीं किए जा सकते।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी स्वीकार की जाती है तथा म0प्र0 ग्रामों की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1970 में द्वितीय अपील का प्रावधान न होने के कारण प्रकरण में किया गया अपर आयुक्त रीवा संभाग का आदेश दिनांक 17–4–06 क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्त किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर का आदेश दिनांक 29–9–2001 स्थिर रखा जाता है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,